

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1474 / 2011 / सिरौही.

2. अपील संख्या – 1475 / 2011 / सिरौही.

मैसर्स अरावली ऑयल प्रोडक्ट लिमिटेड,
शिवगंज, सिरौही

.....अपीलार्थी.

बनाम
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
सिरौही

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक
श्री डी.पी.ओझा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20.09.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर-II, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 49 व 51 / कर / सिरौही / 09-10 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 01.03.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।
2. इन दोनों अपीलों के तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य हैं। अतः दोनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी को राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के अन्तर्गत 25.08.1999 से करमुक्ति का लाभ लेने हेतु पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया हुआ था, परन्तु अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा विक्रय बिलों में कर शत-प्रतिशत वसूल कर लिया गया। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संगंहित कर मय ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई।
4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को प्रोत्साहन योजना के तहत करमुक्ति का लाभ प्राप्त था एवं राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F-12(63) FD / TAX/ 2005- 31 दिनांक 31.03.2006 के अनुसार अपीलार्थी को वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात भी यह लाभ प्राप्त था अतः कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा विधिवत प्राप्त प्रोत्साहन योजना के तहत दी गई छूट को दिनांक 01.04.2006 से वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात बिलों में कर का संग्रहण किया जाना अनिवार्य मानते हुये कर संग्रहित



लगातार.....2

किया गया था एवं उसकी सूचना प्रस्तुत किये गये विवरण पत्रों में दी गई थी तथा अपनी लेखा पुस्तकों में भी इसकी प्रविष्टि की गई थी। अग्रिम कथन किया कि दिनांक 01.04.2006 से वैट अधिनियम लागू होने एवं नये प्रावधानों के तहत विक्रय प्रोत्साहन योजना का लाभ लिया जाने संबंधी ज्ञान न होने से उनके द्वारा पूरे कर का संग्रहण कर विवरण पत्रों में आउटपुट टैक्स प्रोत्साहन योजना अनुसार बताया गया था क्योंकि जो छूट उन्हें प्राप्त थी उसका दायित्व न होने के विचार के कारण दिनांक 01.04.2006 की पूर्व के प्रावधानों अनुसार विवरण पत्र प्रस्तुत किये गये थे परन्तु किसी भी तरह की कर चोरी नहीं की गई थी व बहियातों से नहीं छुपाया गया था अतः अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना पूर्णतः विधिविरुद्ध है। उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर न ही कोई विचार किया गया व न ही इसका कोई विवेचन किया गया। कथन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय श्री कृष्णा इलैक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू के आलोक में अपीलार्थी के समस्त संव्यवहार बहियात में जमा खर्च होने के आधार पर शास्ति अपास्तनीय है।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधिसूचना दिनांक 31.03.2006 को कोई लाभ नहीं लिया गया था, जिसके तहत प्रोत्साहन योजना के लाभ को वैट अधिनियम लागू होने के बाद आस्थगन योजना के तहत शेष लाभ प्राप्त कर सकते थे या यह विकल्प नहीं लेने पर उन्हें करमुक्ति का लाभ लेने पर करवसूली नहीं की जा सकती थी परन्तु व्यवसायी ने दिनांक 31.03.2006 की अधिसूचना अनुसार कर आस्थगन का लाभ नहीं लिया बल्कि करमुक्ति के लाभ की सीमा के बजाय पूर्णदर से करवसूल कर लिया गया। अतः कर निर्धारण आदेश विधिसम्मत है।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई व कर निर्धारण आदेश का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में अपीलार्थी की ओर से यह विवाद नहीं किया गया है कि उनके द्वारा की गई बिक्री पर वैट रुपये 3,32,913/- अपने ग्राहकों से वसूल किया गया था। अपीलार्थी व्यवसायी को प्रोत्साहन योजना 1998, के तहत करमुक्ति के प्रमाण पत्र के अनुसार वैट अधिनियम 2003 के लागू होने के पश्चात भी करमुक्ति का लाभ प्राप्त था अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.03.2006 के अनुसार वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात प्रोत्साहन योजना के लाभ को नई आस्थगन योजना में हस्तांतरित किया जा सकता था परन्तु अपीलार्थी द्वारा नई आस्थगन योजना का लाभ न लेकर पुरानी योजना का लाभ लेना जारी रखा गया परन्तु वैट अधिनियम लागू होने से करमुक्ति के बिल जारी करने के बजाए पूरा कर वसूल कर लिया गया एवं वसूल कर को स्वयं के पास रखते हुये आस्थगन का लाभ लिया गया। जो विधि अनुकूल नहीं था क्योंकि यदि अधिसूचना दिनांक 01.04.2006 का विकल्प नहीं लिया गया था तब पूर्व प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार अधिकृत सीमा तक करमुक्ति के बिल जारी किया जाना आवश्यक था परन्तु अपीलार्थी द्वारा बिलों में अपने ग्राहकों से पूरे कर की वसूली की गई है जबकि पात्रता प्रमाण पत्र अनुसार रुपये 1,99,824/- ही वसूल कर सकते थे। इसी तरह केन्द्रीय विक्रय कर



अधिनियम में बिलों में कर राशि रुपये 957 /— अनाधिकृत रुप से वसूल की गई। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिक वसूली की गई राशि रुपये 1,33,089 /— एवं रुपये 957 /— का करारोपण मय ब्याज किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इसकी पुष्टि करने में कोई भूल नहीं की गई है।

प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत जो शास्ति आरोपित की गई है उस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विवचेन नहीं किया गया है। इस पर विचार किया गया। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने संव्यवहारों को बहियात में प्रविष्ट किया हुआ था एवं विवरण पत्रों में भी पूरे टर्नओवर को दर्शाया हुआ था परन्तु वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात कर वसूल किये जाने की अनिवार्यता की सलाह अनुसार पूर्ण कर वसूल किया गया था एवं जानकारी के अभाव में आस्थगन योजना का विकल्प नहीं लिया गया था, जबकि अपीलार्थी को वह लाभ प्राप्त हो सकता था एवं ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्रों को विभाग द्वारा भी विवादित नहीं किया गया बल्कि उन्हें लगातार स्वीकार किया गया था। प्रकरण में उक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा समस्त संव्यवहारों को लेखा पुस्तकों में इन्द्राजीत किया हुआ तथा पूरे टर्नओवर के विवरण पत्र भी प्रस्तुत किये हुये थे ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू 2009 23 VST Page 249 (SC) के आलोक में उचित न होने से आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है।

फलतः अपीलार्थी की अपीलें आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की जाती है एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(के.एल.जेन)
सदस्य